



हमारा प्रयास
सबको आवास

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के

लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सुल्तानपुर में सामान्य पंजीकरण 2020 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के आवासीय भूखंडों एवं स्व-वित्त पोषित योजनान्तर्गत मध्यम आय वर्ग भवनों को प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

ऑनलाइन पंजीकरण 10 दिसम्बर 2020 से 10 जनवरी, 2021 तक



भूखण्डों का विवरण

UPRERAPRJ220230

क्र. सं.	योजना का नाम	ग्रुप सं.	मानक भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मी. में	भूखण्डों की संख्या	मूल्य भूमिदर (प्रति वर्ग मी.)	पंजीकरण धनराशि
1	लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर	ग्रुप अ				
		1. आवासीय	162.00	47	17,500	1.45 लाख
		ग्रुप ब	75.00	31	17,500	0.70 लाख
		1. आवासीय	162.00	23	17,500	1.45 लाख

भवन का विवरण

UPRERAPRJ963567

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्ति की संख्या	प्लिंथ एरिया (वर्ग मी.)	कार्पेट एरिया (वर्ग मी. में)	मानक भूखण्ड एरिया क्षे. (वर्ग मी.)	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में) मूल्य का 5%	अवशेष धनराशि समान मासिक तिमाही किरतों में
1	लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सुल्तानपुर	(80/122) मध्यम आय वर्ग प्रकार के सेमीफिनिशड भवन	28	80	59.80	121.89	32.00	1.60	2 वर्षों में त्रैमासिक किरत

ऑन लाइन सुविधा प्रदाता बैंक : एच.डी.एफ.सी. बैंक, 1170, खैराबाद, इलाहाबाद रोड, सुल्तानपुर। सम्पर्क करें:- श्री विकास कुमार (मोबाईल नं.- 8545845983)

नियम व शर्तें

- एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भवन/भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्थ होगी।
- ग्रुप-अ के भूखण्ड केवल एक मुश्त भुगतान के आवेदकों के मध्य आवंटन/चयनित किये जायेगे।
- ग्रुप-ब के भूखण्ड एवं भवनो मे प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा से एवं उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किरतों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा से कार्यवाही की जायेगी।
- प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा पात्रता चयन की कार्यवाही की जायेगी।
- रेस से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट www.up-rera.in पर देखें।
- पंजीकरण से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.in> पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- परिषद की लोहरामऊ मार्ग भूमि एवं गृहस्थान योजना, सुल्तानपुर में परिषद द्वारा नवनिर्मित 34 नग अल्प आय वर्ग (29/60 प्रकार) के भवनों हेतु दिनांक- 20.03.2018 से दिनांक- 05.05.2018 तक पंजीकरण खोला गया था, जिसकी आरक्षण/पंजीकरण पात्रता ड्रा दिनांक- 03.11.2018 को किया जा चुका है। पात्र चयनित आवेदकों के मध्य आरक्षण के प्राविधानों के अन्तर्गत भवनों का नम्बरिंग ड्रा दिनांक- 15.12.2020 को अपरान्ह 11.00 बजे से स्थल-कार्यालय लोहरामऊ मार्ग भूमि एवं गृहस्थान योजना (राहुल तिराहा से लोहरामऊ मार्ग) सुल्तानपुर में किया जाना प्रस्तावित है। पात्र आवेदक उक्त तिथि, समय व स्थल पर नम्बरिंग ड्रा में भाग ले सकते हैं।
- नोट:- आवेदकों की चयनित सूची परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर देखी जा सकती है तथा नम्बरिंग ड्रा की तिथि पर निर्धारित स्थल के नोटिस बोर्ड पर भी प्रातः 10.00 बजे से उपलब्ध रहेगी।

सम्पर्क सूत्र- 1- श्री सुमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, नि.ख. अयोध्या-2
मोबाईल नं. 8795810700

2- श्री सुभाष चन्द्र मौर्या, सम्पत्ति प्रबन्धक, सुल्तानपुर।
मोबाईल नं. 8795811050

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com



टोल फ्री

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
1800-180-533 दूरभाष **0522-2236803**
या परिषद की वेबसाइट पर लॉगइन करें।